



**प्रेस विज्ञप्ति**  
**दिनांक:- 08.07.2021**

# महोबा पुलिस

**सोशल मीडिया सेल**



**यूपी-112 पीआरवी टीम ने अन्दर से दरवाजा बन्द कर फांसी लगा रहे युवक को दरवाजा तोड़कर सकुशल बचाया...।**

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर0के0 गौतम के सफल पर्यवेक्षण में यूपी0 112 पुलिस द्वारा लगातार जनपद वासियों को तत्काल सहायता हेतु पुलिस सुविधा प्रदान की जा रही है, जिसके क्रम में दिनांक 07.07.2021 को थाना चरखारी अन्तर्गत पीआरवी 1260 टीम को श्वेता पुत्री जगदीश कुमार द्वारा सूचना प्राप्त हुयी कि भाई फांसी का फंदा बना आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा है कृपया जल्दी पहुंचे....

इस सूचना पर पीआरवी- 1260 तत्काल अल्प समय में घटनास्थल पर पहुंची घटनास्थल पर पहुंच कर पीआरवी कर्मियों को जानकारी हुई कि कालर के भाई ने घर में अपने आप को बंद कर लिया है, पीआरवी कर्मियों द्वारा देर न करते हुये तत्काल कमरे का दरवाजा तोड़ा गया व अंदर जाकर देखा कि व्यक्ति फांसी का फंदा बनाकर अपने गले में उस फंदे को डालकर लटकने ही जा रहा था कि पीआरवी कर्मियों ने सूझबूझ से उसे रोंका तथा समझाया और नीचे उतारा जिससे व्यक्ति की जान बच सकी।

पीआरवी कर्मियों द्वारा व्यक्ति से ऐसा करने का कारण पूंछा गया तो उसके द्वारा बताया गया कि वह अपनी पत्नी द्वारा झगड़ा करने व मायके से न आने से क्षुब्ध होकर फांसी के फंदे पर लटकने जा रहा था, युवक बाबू सेन पुत्र जगदीश कुमार निवासी शेखन फाटक कस्बा चरखारी को पीआरवी कर्मियों द्वारा समझा-बुझा कर उसको ऐसा न करने की सलाह दी गयी जिससे समय रहते एक अनहोनी होने से बच सकी।

पीआरवी द्वारा किये गये इस कार्य की सभी परिजनों/स्थानीय लोगों ने भूरि-भूरि प्रशंसा की।

## **पीआरवी- 1260 का विवरण...**

यूपी 112 जनपद महोबा, थाना चरखारी इवेंट संख्या - 09389।

कमांडर – हे0कां0 रामकिशन।

सब कमांडर - म0आ0 शकुंतला यादव, म0आ0 कविता यादव।

पायलट - **HG** अनिरुद्ध सिंह।





**प्रेस विज्ञप्ति**  
**दिनांक:- 08.07.2021**

# महोबा पुलिस

**सोशल मीडिया सेल**



## DM / SP महोबा द्वारा ब्लॉक प्रमुख हेतु नामांकन स्थलों का स्थलीय निरीक्षण कर परखी गयी सुरक्षा व्यवस्था...

आज दिनांक 08.07.2021 को ब्लॉक प्रमुख पद हेतु नामांकन की प्रक्रिया के दृष्टिगत जिलाधिकारी महोबा श्री सत्येन्द्र कुमार तथा पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह द्वारा ब्लॉक (कबरई, चरखारी, जैतपुर एवं पनवाड़ी) में ब्लॉक प्रमुख चुनाव हेतु नामांकन प्रक्रिया के दौरान नामांकन स्थलों का भ्रमण कर निरीक्षण किया गया एवं ड्यूटीरत पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को शांति/सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने हेतु आवश्यक आदेश-निर्देश दिए एवं कोविड-19 नियमों के पालन हेतु निर्देशित किया गया।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के द्वारा सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारियों को ब्रीफ करते हुये सख्त निर्देश देते हुये कहा गया कि सभी अपनी ड्यूटी प्वाइंट पर सतर्कता के साथ उपस्थित रहें, किसी भी असामाजिक तत्व द्वारा गडबडी करने पर सम्बन्धित उच्चाधिकारियों को सूचित करते हुये तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।





**प्रेस विज्ञप्ति**  
**दिनांक:- 08.07.2021**

# महोबा पुलिस

**सोशल मीडिया सेल**



## **थाना महोबकंठ पुलिस ने नाबालिक से छेंडछाड के वांछित अभियुक्तों को किया गिरफ्तार...।**

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर जनपदीय पुलिस टीम द्वारा वांछित/वारण्टी अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे गिरफ्तारी अभियान के क्रम में आज दिनांक 08.07.2021 को थानाध्यक्ष महोबकंठ श्री सुनील कुमार तिवारी के निकट पर्यवेक्षण में गठित उ0नि0 सुनील कुमार के नेतृत्व में टीम ने अभियान में सम्मिलित होकर नाबालिक से छेंडछाड करने के आरोपी अभियुक्तगण क्रमशः (1) मंगल पुत्र हीरा उम्र करीब 22 वर्ष (2) प्रीतम पुत्र मोतीलाल उम्र करीब 21 वर्ष (3) गंजा उर्फ नरेन्द्र पुत्र हीरा उम्र 23 वर्ष (4) सुशील पुत्र श्रीपत उम्र करीब 22 वर्ष निवासी गण ग्राम पिपरी थाना महोबकंठ जनपद महोबा सम्बन्धित मु.अस 89/21 धारा 354 क भादवि व 8 पाक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्तों को ग्राम घुटई चौराहे से गिरफ्तार किया गया, बाद आवश्यक विधिक कार्यवाही सम्पादित कर अभियुक्तों को मां0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

### **गिरफ्तार करने वाली टीम -**

1. उ0नि0 सुनील कुमार
2. का0 मनोज गौतम
3. का0 मयंक पाण्डेय

### **गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण...**

- (1) मंगल पुत्र हीरा उम्र करीब 22 वर्ष
  - (2) प्रीतम पुत्र मोतीलाल उम्र करीब 21 वर्ष
  - (3) गंजा उर्फ नरेन्द्र पुत्र हीरा उम्र 23 वर्ष
  - (4) सुशील पुत्र श्रीपत उम्र करीब 22 वर्ष
- निवासी गण ग्राम पिपरी थाना महोबकंठ जनपद महोबा।





**प्रेस विज्ञप्ति**  
**दिनांक:- 08.07.2021**

# **महोबा पुलिस**

**सोशल मीडिया सेल**



## **थाना कबरई पुलिस ने वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार...**

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर जनपदीय पुलिस टीम द्वारा वांछित/वारण्टी अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे गिरफ्तारी अभियान के क्रम में आज दिनांक 08.07.2021 को थानाध्यक्ष कबरई श्री दिनेश सिंह द्वारा गठित टीम उ० नि० सुमित नारायण के नेतृत्व में टीम ने अभियान में शामिल होकर थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु.अ.सं. 153/21 धारा 379/411 भादवि व 4/21 खान एव खनिज अधिनियम एवं 3/5 लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम में नामजद वांछित अभियुक्त पुत्तन पुत्र देवीदीन अहिरवार उम्र करीब 30 वर्ष नि० ग्राम धनपुरा थाना बिवांर जिला हमीरपुर को धरौन रोड के पास से गिरफ्तार किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त को मां० न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

### **गिरफ्तार करने वाली टीम –**

1. उ० नि० सुमित नारायण
2. का० विक्रम

### **गिरफ्तारी का स्थान:-**

सीएचसी कबरई अस्पताल के पास धरौन रोड कबरई

### **गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-**

पुत्तन पुत्र देवीदीन अहिरवार उम्र करीब 30 वर्ष नि० ग्राम धनपुरा थाना बिवांर जिला हमीरपुर





**प्रेस विज्ञप्ति**  
**दिनांक:- 08.07.2021**

# महोबा पुलिस

**सोशल मीडिया सेल**



## जनपदीय पुलिस द्वारा पैदल गस्त करके की गई संदिग्धों की चेकिंग

यातायात नियमों के उल्लंघन पर **16 ई-चालान** किये गये।



आज दिनांक 08.07.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के कुशल निर्देशन में शान्ति/कानून-व्यवस्था के मद्देनजर जनपद के समस्त थानों द्वारा अपने क्षेत्र के मुख्य बाजार, धार्मिक-स्थल, बस-स्टैण्ड, ढाबा आदि जगहों पर पैदल गस्त करके संदिग्ध वाहनों/व्यक्तियों की चेकिंग की गई एवं लोगों को कोविड-19 संक्रमण के प्रति जागरूक किया गया व मास्क का प्रयोग व 02 गज की दूरी बनाकर रखने की अपील की गई।



**प्रेस विज्ञप्ति**  
**दिनांक:- 08.07.2021**

# **महोबा पुलिस**

**सोशल मीडिया सेल**



## **30 लीटर अवैध शराब सहित 02 अभियुक्ताओं को कबरई पुलिस ने किया गिरफ्तार**



आज दिनांक 08.07.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के कुशल निर्देशन में चलाये जा रहे अवैध शराब की बरामदगी अभियान के तहत थानाध्यक्ष कबरई श्री दिनेश सिंह द्वारा गठित पुलिस/आबकारी टीम के संयुक्त प्रयास से कबूतरा डेरा वर्मा तालाव थाना कबरई से 02 नफर अभियुक्ता **1.** श्रीमती कुसमी पत्नी मनोज कबूतरा उम्र 42 वर्ष **2.** श्रीमती मंजा पत्नी राजकुमार कबूतरा उम्र 43 वर्ष, निवासीगण वर्मा तालाब कस्बा व थाना कबरई जनपद महोबा को

**15-15 लीटर (30 लीटर) अवैध कच्ची शराब सहित गिरफ्तार किया गया।** जिनके विरुद्ध थाना हाजा पर मु0अ0सं0 207/21 व 208/21 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।

### **गिरफ्तार अभियुक्ताओं का विवरण:-**

1. श्रीमती कुसमी पत्नी मनोज कबूतरा उम्र 42 वर्ष
2. श्रीमती मंजा पत्नी राजकुमार कबूतरा उम्र 43 वर्ष  
निवासीगण वर्मा तालाब कस्बा व थाना कबरई जनपद महोबा।

### **गिरफ्तार करने वाली संयुक्त टीम –**

1. आबकारी निरीक्षक श्री रामकृष्ण चतुर्वेदी
2. उ0नि0 श्री महेन्द्र सिंह तोमर
3. कां0 धर्मेन्द्र यादव
4. आबकारी का0 बृजेश कुमार
5. महिला होमगार्ड श्रीमती रामदेवी